CURTAILMENT OF PROPERTY RIGHTS

4968. SHRI RAM AVTAR SHARMA:
SHRI YASHPAL SINGH:

Will the Minister of LAW AND SOCIAL WELFARE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to curtail property rights guaranteed under the Constitution;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what are the reasons for curtailing this fundamental right ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LAW AND IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE (SHRI M. YUNUS SALEEM): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

MODERNISATION OF THAILAND STATE RAILWAY WITH INDIAN ASSISTANCE

4969. SHRI S. C. SAMANTA : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether a request has been made by the State Railway of Thailand for technical assistance in their programme of modernisation involving increase of efficiency of passenger trains with faster speeds increased axle load limits etc. ; and

(b) if so, to what extent the Government of India propose to provide assistance, guidance or collaboration on the above matters ?

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE AND RAILWAYS (SHRI GOVINDA MENON) : (a) Yes.

(b) An officer of the Indian Railways was sent to Thailand to make a preliminary assessment of the needs and requirements of the State Railway of Thailand. The officer has submitted a report, while is under examination.

हिमाचल प्रदेश जिला मंडी में तहसील चाचीपोट में सवर्ण हिन्दुओं द्वारा अस्पृश्यता का व्यवहार

4970. श्री देवेन सेन : क्या विधि तथा समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :कि

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले में चाचीपोट नामक तहसील में हरिजनों को सवर्ण हिन्दुओं के घरों तक को छूने की अनुमति नहीं है और यदि कोई हरिजन ऐसा करता है तो उसे दंड स्वरूप एक बकरी देनी पड़ती है और इस बात की पुष्टि उस राज्य के एक मंत्री ने भी की है ;

(ख) क्या यह सच है कि अस्पृश्यता सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन से हरिजनों के साथ किये जाने वाले अत्याचारों तथा अभद्र व्यवहार के बारे में चिन्ता प्रकट की गई है, और ऐसी अन्य अनेक घटनायें होने की बात भी प्रकाश में आई है; और

(ग) यदि हां, तो उस समिति के प्रतिवेदन में उल्लिखित सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए हरिजनों तथा अल्प संख्यकों के जीवन और उनके आर्थिक तथा सामाजिक हितों की रक्षा करने के लिए क्या सरकार का कोई कठोर कार्यवाही करने का या उस सम्बन्ध में कोई विधान बनाने का विचार है ;

(घ) यदि हां, तो कब; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग में, राज्य मंत्री [डा० (श्रीमती) फुलरेणु गुह] : (क) इस मामले पर राज्य सरकार को लिखा जा चुका है और उसके उत्तर की प्रतीक्षा है ।

(ख) से (ङ). अस्पृश्यता तथा अनुसूचित जातियों के आर्थिक और शैक्षणिक विकास से सम्बद्ध समिति की रिपोर्ट में अस्पृश्यता के कुछ उदाहरणों का उल्लेख किया गया है । अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 को और प्रभावी बनाने के लिए सरकार उस में संशोधन करने के प्रश्न पर सक्रिय विचार कर रही है ।